केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 03.05.2017

सीबीआई ने कथित घूसखोरी के मामले में आयकर आयुक्त एवं पाँच अन्यों को गिरफ्तार किया और 1.50 करोड़ रू. (लगभग) बरामद किया

सीबीआई ने कथित घूसखोरी के मामले में आयकर आयुक्त (अपील-30), मुम्बई (1992 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी) एवं प्राइवेट कम्पनी के एक कर्मचारी ; मुम्बई की प्राइवेट कम्पनी के एक अन्य कर्मचारी ; चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ; अचल सम्पत्ति व्यापार एजेन्ट तथा उसके रिश्तेदार सहित पॉच अन्यों को गिरफ्तार किया।

आयकर आयुक्त, मुम्बई एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि आयकर आयुक्त (अपील-30), मुम्बई ने हाल ही में एक प्राइवेट न्यास, जिसका न्यासी मुम्बई की एक प्राइवेट कम्पनी है, का पक्ष लेते हुए एक याचिका से सम्बन्धित मामले में आदेश जारी किया। इस तरह का पक्षपाती आदेश देने के लिए, उन्होने कथित रूप से 2 करोड़ रू. (लगभग) की घूस की मॉग की और मुम्बई में अचल सम्पत्ति व्यापार एजेन्ट के रिश्तेदार (एक प्राइवेट व्यक्ति) के पास यह धनराशि पहुँचवाना चाहते थे जो कि धनराशि एकत्र करने के बाद विशाखापत्तनम् में उक्त अचल सम्पत्ति व्यापार ऐजेन्ट को स्थानान्तरित करें। आयकर आयुक्त छुट्टी के दौरान विशाखापत्तनम् गए एवं कथित रूप से उक्त अचल सम्पत्ति व्यापार एजेन्ट से अपने विशाखापत्तनम् निवास पर आंशिक घूस की धनराशि पहुँचाने की मॉग की।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं उक्त आयुक्त को अचल सम्पत्ति व्यापार एजेन्ट से 19.34 लाख रू. (लगभग) की घूस की आंशिक धनराशि को सुवीकार करने के दौरान पकड़ा। आयुक्त एवं अचल सम्पत्ति व्यापार एजेन्ट दोनो को गिरफ्तार किया गया। जॉंच के दौरान, आयुक्त (आयकर) की ओर से उक्त अचल सम्पत्ति व्यापार एजेन्ट द्वारा पूर्व में स्वीकार की गई 1.50 करोड़ रू. (लगभग) की शेष धनराशि को भी बरामद किया।

आरोपियों के कार्यालयी एवं आवासीय परिसरों सहित मुम्बई व विशाखापत्त्नम् में तलाशी की गई जिसमें कई सम्पत्ति के दस्तावेज, बैंक खातों का विवरण, तीन लॉकर और बहुत से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपियों को नामित अदालत में आज पेश किया जा रहा है। आगे की जाँच जारी है।

****